

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2017/ 591

दिनांक : 28.8.12

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 11 (7) एफ.डी./नियम /2008/ दिनांक 12.09.08 एवं संशोधित आदेश क्रमांक: एफ.14 (88) वित्त (नियम)/2008-दिनांक 31.12.2009 एवं दिनांक 05.07.2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित लैब टैक्नीशियनों को 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर निम्न प्रकार ए0सी0पी0 स्वीकृत किया जाता है :-

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

क्र. स.	नाम कर्मचारी पद व जिला	संवर्ग में नियु0 तिथि	पूर्ण सेवावधि व दिनांक	देय चयनित वेतनमान/ए.सी.पी.
1.	श्री मंगलाराम विश्नोई लै.टे. बाड़मेर	30.05.1998	18वर्ष 30.05.2016	9300-34800 4200 ग्रेड पै
2.	श्री सुनिल मोगरा, लै.टे. उदयपुर	05.12.1998	18 वर्ष 05.12.2016	9300-34800 4200 ग्रेड पै
3.	श्री दीपक सोमपुरा, लै.टे. उदयपुर	04.12.1998	18 वर्ष 04.12.2016	9300-34800 4200 ग्रेड पै
4.	श्री बाबू.लाल विश्नोई, लै.टे. बाड़मेर	08.12.1998	18 वर्ष 08.12.2016	9300-34800 4200 ग्रेड पै
5.	श्री हाकम सिंह सोढा, लै.टे. बाड़मेर	01.05.1999	18 वर्ष 01.05.2017	9300-34800 4200 ग्रेड पै
6.	श्री अवधेश गुप्ता, लै.टे. जयपुर	05.10.1998	18 वर्ष 05.10.2016	9300-34800 4200 ग्रेड पै
7.	श्री देवी लाल, लै.टे. हनुमानगढ़	16.05.1998	18 वर्ष 16.05.2016	9300-34800 4200 ग्रेड पै
8.	श्री हरि कृष्ण शर्मा, दन्त टेक. अलवर	21.02.1990	27 वर्ष 21.02.2017	9300-34800 4200 ग्रेड पै

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 28.8.12

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142/2017/ 591

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर/उदयपुर/हनुमानगढ़/अलवर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, धोरीमन्ना(बाड़मेर)/मावली(उदयपुर)/
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे (0141-2222683 एवं ईमेल आई.डी. add4ng@gmail.com)
7. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर